न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/143

1. रामस्वरूप आत्मज प्यारा जी ।
2. सत्यनारायण आत्मज प्यारा जी ।
3. देव बाई बेवा प्यारा जी ।
4. किशोर बाई पुत्री प्यारा जी ।
5. कलावती बाई पुत्री प्यारा जी ।
6. सुगना बाई पुत्री प्यारा जी ।
7. किशना आत्मज माधो जी मृतक जरिये कायममुकामान :–
   7/1. जगदीश आत्मज किशना जी
   7/2. बाबूलाल आत्मज किशना जी ।
   7/3. राधेश्याम आत्मज किशना जी ।
   7/4. रामहेत आत्मज किशना जी ।
   7/5. पप्पूलाल आत्मज किशना जी सभी की जाति माली निवासीगण ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्यारा, किशना आत्मज माधो जाति माली निवासी गुडली को ग्राम गुडली में आराजी खसरा नम्बर 239/2 रकबा 12 बिस्वा जरिये मिसल नं0 182/60 दिनांक 06.12.1960 आवंटित की गई थी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2006 के द्वारा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन, आवंटी का कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन/विक्रय नियम, 1957 की धारा 21 (झ) की पालना नहीं करना मानते हुए खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना मानते हुए आवंटन आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है । उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं हो इस बाबत् कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट कब्जा के सम्बन्ध में नहीं है । किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस आदि नहीं दिया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन वर्ष 1960 का है और आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि भी जमा करवा दी गई है । आवंटी के फौत होने पर उनके वारिसान अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है इस प्रकार आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन/विक्रय नियम, 1957 की धारा 21 (झ) की पालना नहीं की गई है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन आदेशों की पालना नहीं करने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा

साक्षी

काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित ... है । इस प्रकार अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी ... करनाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 बहाल रखा जाता है ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिससे साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा